

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- छिन्दवाड़ा जिले में बोमल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.69 हेक्टेयर
वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत। (144186/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 011/2022-BHO/ दिनांक 28.02.2023

—0—


कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।
जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर
जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The entire KML file of road (forest land & Non-forest land) shall be submitted / uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की पूर्ण KML file अलग-अलग रंग से तैयार कर अपलोड कर दी गई है।
2	The comments of CWLW shall be submitted w.r.t. the proposal shall be submitted.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अपनी टीप क्रमांक/450 दिनांक 21.06.2023 से लेख किया है कि प्रस्तावित क्षेत्र पेंच-सतपुड़ा टाइगर कॉरीडोर का भाग नहीं है, किन्तु मार्ग वन कक्ष क्रमांक RF-670 से गुजर रहा है एवं कॉरीडोर की सीमा से लगा होने से वन्यप्राणियों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए समन उपाय सुझाय गए हैं, अभिमत की छायाप्रति एवं वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा के पत्र दिनांक 18.05.2023 की छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1098/2021/10-11/41191

भोपाल, दिनांक 06-08-24

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
 - 2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
 - 3- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

क्रमांक/मा.चि./ 1458
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक 31-07-24

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

म.प्र. भोपाल

विषय:- बोमल्या से सातग्वारी मार्ग लंबाई 2.42 कि०मी० के एक रेखण मे आने वाली वन भूमि मे मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.69 हे.निर्माण कार्य वनक्षेत्र मे करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/144186/2021.

संदर्भ:- 1.आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3922 दिनांक 25.07.2024
2..वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 30.07.24

—000—

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्र से चाही गयी जानकारी वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 30.07.24 (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा वन एवं राजस्व भूमि की पूर्ण KML फाईल On line परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ संप्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1459

छिंदवाड़ा, दिनांक 31-07-24

प्रतिलिपि:- 1. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल।
2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

भूमि
31/7

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwarra@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2024/
प्रति.

1224

छिंदवाड़ा दिनांक 30/7/24

वन संरक्षक
छिंदवाड़ा वन वृत्त
छिंदवाड़ा

विषय :- छिंदवाड़ा जिले में बोमल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.690 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिंदवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।
ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/ROAD/144186/2021)

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष - भू प्रबंध) वन भवन भोपाल के पृ. क. /एफ-5/1098/2022/10-11/3923 दिनांक 25.07.2024
2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स) छिंदवाड़ा के पृ.क. क्रमांक 2927 दिनांक 29.07.2024

- कक्ष -

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत बोमल्या से सातग्वारी मार्ग के निर्माण हेतु कुल लंबाई 5.60 कि.मी. परिक्षेत्र सांवरी के वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर एफ. 670 लंबाई 2420 मी. चौड़ाई 7.00 मी. रकबा 1.690 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रकरण में प्रभावित होने वाली वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की के.एम.एल. फाईल का परीक्षण किया जाकर प्रेषित किया गया था किंतु आवेदक विभाग द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि की के.एम.एल. परिवेश पोर्टल के पार्ट-1, सीए (बिंदु L) में अपलोड की गई थी। आवेदक विभाग द्वारा पुनः सुधार कर व्यपवर्तित वन भूमि की के.एम.एल. परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के सीए (बिंदु C) में परिवेश पोर्टल में अपलोड की गई है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

30.07.24

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./2024/ 1225

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष - भू प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स) छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ

अप्रेषित।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा

email :- eepwd1chhind@mp.nic.in.

ज्ञाप. क्रमांक/ 2926 /त.शा./2024-25
प्रति,

छिन्दवाड़ा

दिनांक 29.7.2024

प्रधान मुख्य संरक्षक,
(कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र.
भोपाल म.प्र.


विषय : छिन्दवाड़ा जिले में बომल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.69 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/144186/2021)
संदर्भ : आपका पत्र कं.एफ-5/1098/2022/10-11/3922 भोपाल दिनांक 25.07.2024

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि छिन्दवाड़ा जिले में बომल्या सातग्वारी मार्ग निर्माण हेतु 1.69 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने हेतु व्यवहर्तित होने वाली वन भूमि एवं गैर वन भूमि की पूर्ण KML File चाही गई थी, जो कि त्रुटिवश L. Compensatory Afforestation में अपलोड कर दी गई थी।

उक्त प्रकरण के संबंध में वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा कार्यालय में संपर्क किया गया, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अपलोड KML File C. Maps of forest land proposed to be diverted भाग में अपलोड की जानी है। अतः पुनः दिये गये निर्देशानुसार KML File अपलोड कर आपकी ओर प्रकरण स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार


कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग
छिन्दवाड़ा म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/ 2927 /त.शा./2024-25
प्रतिलिपि :-


छिन्दवाड़ा

दिनांक 29.7.2024

- (1) मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृत्त छिन्दवाड़ा म.प्र.
- (2) वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा म.प्र.

की ओर उक्त संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र - शून्य


कार्यपालन-यंत्री
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग
छिन्दवाड़ा म.प्र.



“लोक निर्माण से लोक कल्याण”

छब्बीस-२ सचिवालय
का विभाग

विषय :

12

छिन्दवाड़ा जिले में बომल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 1.69 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से:-


- सड़क हेतु अन्तर्गत वनभूमि किसी NP/Sanctuary या कांरीडोर का भाग नहीं है।
- अतः MOEF को भेजा गया था MOEF ने अतः पर CWLW को अधिगत पाया है।
- ~~कृषि~~ गन्ती का अनुलोपन का अधिगत देने का अनुलोपन है।

F/A

2/3/2023

PCCF (WL)


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal



मि. जे. ए. ए. I
P.C.C.F. (WL)
2.3.2023

छिन्दवाड़ा जिले में बომल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 1.69 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने संबंधी प्रकरण के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/802 दिनांक 18.05.2023 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई 5.60 कि.मी. है तथा सांवरी परिक्षेत्र के वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर.एफ. 670 में 2420 मीटर लम्बाई एवं 7.00 मीटर चौड़ाई में रकबा 1.690 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है तथा कक्ष के बीचो-बीच से गुजर रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र पंच-सतपुड़ा टाइगर कॉरीडोर का भाग नहीं है, किन्तु मार्ग वन कक्ष आर.एफ. 670 से गुजर रहा है एवं कॉरीडोर की सीमा से लगा हुआ होने से वन्यप्राणियों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार शमन उपाय सुझाये गये हैं:-

1. प्रत्येक 100 मीटर का एक अण्डरपास निर्माण किया जावे।
2. मार्ग के दोनो ओर किनारे-किनारे 500 मीटर लम्बाई एवं 8 से 10 फीट उंचाई की चैनलिक फेंसिंग किया जावे।



विषय:- छिन्दवाड़ा जिले में बोमल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.69 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।

-----0-----

पूर्व पृष्ठ से-

- 3. गति नियंत्रण हेतु वनक्षेत्र में मार्ग के प्रत्येक 500 मीटर पर एक गति अवरोधक बनाया जावे।
- 4. गति नियंत्रण हेतु, वन्यप्राणी क्षेत्र होने, वन्यप्राणियों को खाद्य सामग्री न देने जैसे चेतावनी सूचना पटल आवेदक संस्था द्वारा लगाया जावे।
वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल द्वारा प्रस्तावित मार्ग में चयनित स्थलों पर वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु सुझाये गये उक्त शमन उपाय अनुसार आवेदक विभाग द्वारा अधोसंरचनाओं के निर्माण किये जाने की शर्त पर मार्ग निर्माण की सहमति दी जा सकती है।

[Signature]
21.06.2023

(जसबीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.

[Signature]

[Signature]
28/6

उक्त प्रस्तावित WL का डिप्लोमा ड्राट हो गये की
बीन: प्रमाण 401 से भेजने हेतु प्रमाण हस्ता- हस्ता
उपलब्ध की

PCRF (em)

[Signature]
28/6/23

आवेदक ने पूर्ण 15 क की KML उपलब्ध नहीं
की थी आवेदक को पत्र लिखें

[Signature]
28/6

[Signature] प्रमाण हस्ता हस्ता उपलब्ध की

PCRF- (em)

[Signature]
28/6/23

[Signature]
28/6

U.O.NO/PCRF (BC&CW) 2023
DATE 21-6-2023

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2023/ * 802
प्रति,

छिंदवाड़ा दिनांक 18/5/23

मुख्य वन संरक्षक,

छिंदवाड़ा

वन वृत्त छिंदवाड़ा

विषय :- छिंदवाड़ा जिले में बोमल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.690 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिंदवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- आपका पृ.क्र. 1674 दिनांक 03.05.2023

- * * * -

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत बोमल्या से सातग्वारी मार्ग के निर्माण हेतु कुल लंबाई 5.60 कि.मी. परिक्षेत्र सांवरी के वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर. एफ. 670 लम्बाई 2420 मी. चौड़ाई 7.00 मी. रकबा 1.690 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित मार्ग वन कक्ष क्रमांक आर एफ 670 के बीचों बीच से गुजर रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र पेंच-सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कारीडोर का भाग नहीं है किंतु वन कक्ष आर एफ 670 जिससे उक्त मार्ग होकर गुजर रहा है, वह कारीडोर की सीमा से लगा हुआ है।

वन क्षेत्र होने से वन्यप्राणियों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुये अभिमत इस प्रकार है :-

1. 100 मी० का एक अंडरपास।
2. मार्ग के दोनों ओर किनारे-किनारे 500 मी० लंबी 8-10 फीट की चैनलिंग फेंसिंग किया जाना उचित होगा।
3. गति नियंत्रण - प्रत्येक 500 मी० पर एक गति अवरोधक।
4. सूचना पटल - 1. गति सीमा नियंत्रण एवं वन्यप्राणी आवागमन सूचना पटल।
2. वन्यप्राणियों को खाद्य सामग्री न देने संबंधी चेतावनी चिन्ह।

प्रतिवेदन सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा, दिनांक 18/5/23

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./2023/ 803

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक व.प्रा/मा.चि./Gen-446/3900 दिनांक 26.04.2023 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा